ISSN 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer- Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory © ProQuest, U.S.A. Title Id: 715205

Centre for Research Studies
REWA (M.P.)

2022

www.researchjournal.in

अंक 37 हिन्दी संस्करण वर्ष - 19 जुलाई-दिसम्बर 2022

आई. एस. एस. एन. 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest U.S.A. Title Id : 715205

अंक-37 हिन्दी संस्करण वर्ष-19 जुलाई - दिसम्बर 2022

डॉ. अखिलेश शुक्ल
ऑनरेरी सम्पादक
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित
akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल
अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा
rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
की मुख्य शोध पत्रिका
म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत
पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

विषय विशेषज्ञ/परामर्श मण्डल

1. डॉ. अरविंद जोशी, सेवानिवृत आचार्य, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी
arvindvns@outlook.com
2. डॉ. रामशंकर, कुलपति, पं. शम्भूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल
rs_dubey@yahoo.com
3. डॉ. डी. एस. राजपूत, आचार्य, डॉक्टर हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर
drdiwakarrajeut@rediffmail.com
4. डॉ. बी. के. सिंह, आचार्य, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी
imdrbrajesh.kv@gmail.com
5. डॉ. अंजली श्रीवास्तव, सेवानिवृत आचार्य, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा
anjali_apsu@rediffmail.com
6. डॉ. बी. पी. बडोला, सेवानिवृत्त आचार्य, कांगड़ा हिमाचंल प्रदेश
bpbadola@gmail.com
7. डॉ. आभा सक्सेना, सह प्राध्यापक, अग्रसेन कन्या स्वशासी महाविद्यालय वाराणसी
drabhasaxena7@gmail.com
8. डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, आचार्य, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट
pragyamishramgcgv@gmail.com
9. डॉ. आशीष सक्सेना, आचार्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
ashish.ju@gmail.com
10. डॉ. ज्योति उपाध्याय, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश
drjyotiupadhyay11@gmail.com
11. डॉ. प्रमिला पुनिया, सह प्राध्यापक, इतिहास, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान
pramilapoonia@rediffmail.com
12. डॉ. मृदुल जोशी, आचार्य, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार
dr_mriduljoshi@yahoo.com
13. डॉ. शैलजा दुबे, प्राध्यापक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल
shailjadubey70@yahho.in
14. डॉ. प्रमिला श्रीवास्तव, आचार्य, शासकीय कला महाविद्यालय कोटा राजस्थान
dr21pramila@gmail.com
15. डॉ. जयशंकर शाही, आचार्य, अलवर राजस्थान
jayshankarshahi@gmail.com
16. डॉ.एन. पी. त्रिपाठी , सेवानिवृत्त आचार्य, रीवा मध्य प्रदेश
17. डॉ. राजेश भट्ट, एच. एन. बी. केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड
rajeshbhatt11@gmail.com

Guide Lines

- **General:** English and Hindi Editions of Research Journal are published separately. Hence Research Papers can be sent in Hindi or English.
- **Manuscript of research paper:** It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract,Keywords, Introduction, Methods, Analysis, Results and References. Hindi manuscripts must be in Devlys 010 or Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in Email also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.
- **References :** References must be listed cited inside the paper and alphabetically in the order- Surname, Name, Year in bracket, Title, Name of book, Publisher, Place and Page number in the end of research paper as under- Shukla Akhilesh (2018) Criminology, Gayatri Publications, Rewa : Page 12.
- **Review System:** Every research paper will be reviewed by two members of peer review committee. The criteria used for acceptance of research papers are contemporary relevance, contribution to knowledge, clear and logical analysis, fairly good English or Hindi and sound methodology of research papers. The Editor reserves the right to reject any manuscript as unsuitable in topic, style or form without requesting external review.

लेखकों से निवेदन-

- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेज (ISSN-0973-3914) सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज की मुख्य शोध पत्रिका है, जो मानव संसाधन मंत्रालय तथा पंजीयक समाचार पत्र एवं पत्रिका, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत हैं।
- शोध पत्रिका उलरिच इन्टरनेशनल पीरियाडिकल्स डाइरेक्ट्री प्रोक्वेस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडेक्स्ड और लिस्टेड हैं।
- शोध पत्रिका का अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण अलग-अलग प्रकाशित होता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस का प्रकाशन प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर में किया जाता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस को इम्पैक्ट फैक्टर एवं आई.एस.एस.एन प्राप्त हैं। शोध पत्रिका Peer-Reviewed हैं।
- शोध पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित शोध पत्रों को हमारी वेबसाइट www.researchjournal.in (Current Issue) में देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।
- शोध पत्रिका का प्रिंट एडीशन सदस्यों को अलग से डाक द्वारा भेजा जाता है।
- शोध पत्र में शीर्षक, नाम, पद, पदस्थापना का विवरण, पत्र व्यवहार का पता तथा दूरभाष क्रमांक,
- मोबाइल नं., ई-मेल एड्रेस अवश्य दिया जाये।
- शोध पत्र के प्रारम्भ में कम से कम 50-100 शब्दों का सारांश दिया जाये।
- मुख्य शब्द सारांश के नीचे टाइप कराया जाये।

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010(फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

researchjournal97@gmail.com,
researchjournal.journal@gmail.com

शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00

-सदस्यता शुल्क -		
अवधि	व्यक्तिगत सदस्यता	संस्थागत सदस्यता
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

संपादकीय कार्यालय

186/1, विन्ध्य विहार कॉलोनी
लिटिल बैम्बीनोज स्कूल कैम्पस
रीवा- 486001 (म.प्र.)
दूरभाष- 7974781746
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

सम्पादकीय

समाज की मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण इकाई प्रारंभ से परिवार ही रहा है। देश के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए सबसे पहले परिवार जैसी बुनियादी संस्थाओं के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। समाज के विकास के लिए परिवार का संतुलित विकास अति महत्वपूर्ण है। अत: हमें यदि देश का संपूर्ण एवं संतुलित विकास करना है तो हमें परिवार नामक बुनियादी संस्था पर सबसे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परिवार में पुत्र और पुत्री के बीच कोई भी भेदभाव ना करें और यह हम अपने पुत्रों को आवश्यक रूप से समझाएं और उनके क्रियाकलापों में शामिल भी करवाएं। आज भी पुरानी मान्यता के जो लोग हैं, उनका यह मानना है कि औरत को कोई आजादी नहीं मिल सकती, वह अकेले कहीं नहीं जा सकती हैं, वह अकेले कहीं घूम-फिर नहीं सकती हैं, लेकिन इन मूल्यों को आज का युवा मानने से इनकार करता है।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मकान में जो महत्वपूर्ण स्थान दीवालों का का होता है, समाज में वही महत्व लड़कों की शिक्षा का है। लेकिन घर बनता कैसे है? घर के आधार में कौन हैं? घर के आधार में हमारी पुत्रियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, अर्थात उनका संबंध जड़ से है। समाज में अगर हमारी जड़ ही कमजोर हो गई तो हमारा घर या मकान बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकता है। इस सामाजिक संदर्भ को यथार्थ में समझने की आवश्यकता है।

पक्षपात की हद तो तब हो जाती है जब छोटे छोटे कार्यों में हमें भेदभाव दिखता है। कुछ लोगों ख्याल है कि लड़की पराया धन होती है, उसे कौन सी नौकरी करनी है। इसलिए कुछ मां-बाप लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं और यह भेदभाव हमारे व्यवहार में खिलाने-पिलाने में पहनाने-उढ़ाने में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यह सरासर अन्याय है। ईश्वर ने लड़के और लड़कियों को एक जैसा मस्तिष्क दिया है और आज लड़कियां बेहतर परिणाम लाकर यह सिद्ध भी कर रही है।

लड़कियां तो मां-बाप के घर कुछ ही दिन रहती है, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण पर गहराई से ध्यान दें, तभी हम एक सशक्त समाज की संकल्पना को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें हमारे बच्चों का ट्रस्टी बनाया है इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम पूरे न्याय के साथ सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करें क्योंकि लड़के और लड़कियों दोनों में एक जैसी शक्ति है, एक ही आत्मा है। अत: हमें उन्हें विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण का मूलभूत उद्देश्य महिलाओं का विकास और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना हैं। महिला सशक्तिकरण समाज के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रघटना है, क्योंकि वे रचनाकार होती हैं। अगर आप उन्हें सशक्त करें, उन्हें शक्तिशाली बनाएं, प्रोत्साहित करें, यह समाज के लिए बेहतर है। महिला और पुरूष सृष्टि निर्माण और मानव समाज के आधार हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये जीवन रूपी रथ के ऐसे पहिये हैं

जिनसे जीवन-यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती है। परिवार और समाज में स्थायित्व के लिए दोनों की ही भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। किसी समाज में परिवर्तन और विकास का आधार पुरूषों और महिलाओं के पारस्परिक मेल-जोल, कदम से कदम मिलाकर चलने और दोनों की समान गतिशीलता पर ही निर्भर है। किसी भी एक पक्ष के पिछड़ने पर सामाजिक जीवन में अराजक स्थिति निर्मित होती है। मानव जाति का इतिहास इसका साक्षी हैं कि जहाँ महिलाओं की उपेक्षा की गई है, वहाँ समाज का विकास अवरूद्ध हुआ है। सृष्टि की रचना, बच्चों की शिक्षा, परिवार की परवरिश के रूप में महिला की भूमिका पुरूष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने से समाज रचना में उसकी स्थिति केन्द्रीय हो जाती है। अत: स्त्रियों की उन्नति के बिना मानव जाति और समाज का उत्थान नहीं हो सकता। जहाँ तक भारत का संबंध हैं "यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् जहाँ महिलाओं की पूजा होती है। वहां देवताओं का वास होता है। इस आदर्श के साथ कोई भी भारतीय स्त्री पश्चिमी स्त्री की तुलना में गौरव का अनुभव कर सकती हैं। विद्या का आदर्श सरस्वती में,धन का आदर्श लक्ष्मी में, पराक्रम का आदर्श दुर्गा में, पवित्रता का आदर्श गंगा में, यहाँ तक कि सृष्टि सृजन का आदर्श जगद् जननी के रूप में हमें केवल भारत में ही देखने को मिलता हैं।

(डॉ. अखिलेश शुक्ल)
प्रधान सम्पादक

अनुक्रमणिका

01	वीर सावरकर: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय चरित्र **अरुण श्रीवास्तव**	09
02	भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की महिलाओं का योगदान **राजेश चन्द्र पालीवाल**	15
03	डॉ. लोहिया का सांस्कृतिक चिन्तन: रामायण मेला योजना के विशेष सन्दर्भ में **सुधा गुप्ता**	20
04	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का समाजशास्त्रीय अध्ययन (आगरा जिले के पिनाहट विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में) **भूरी सिंह, अतुल कुमार**	25
05	भारतीय जीवन में शिवोपासना का धार्मिक महत्व **अशुतोष शुक्ल**	30
06	महात्मा गाँधी : महिला विकास के प्रति दृष्टिकोण **सीमा श्रीवास्तव**	39
07	महिला नेतृत्व के साामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण (रीवा जिले की पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन) **कोमल पांडे, अखिलेश शुक्ल**	44
08	महिला अपराधिता पुनर्वास एवं जेल व्यवस्था **गजानन मिश्र**	53
09	घरेलू हिंसा: वर्तमान समय की गहन समस्या व समाधान **अलका रानी**	60
10	भारतीय अर्थव्यवस्था और वर्तमान आर्थिक चुनौतियाँ: एक विश्लेषण **बिन्ध्याचल साह**	66
11	नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: सम्भावनाएँ एवं चुनौतियॉ **सिद्धार्थ मिश्र**	78
12	वैश्वीकरण का सामाजिक- आर्थिक प्रभाव **अजय सिंह गहरवार, अवनीश सिंह, महानन्द द्विवेदी**	82
13	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में स्टार्टअप योजना **संगीता कुँभारे**	92
14	स्टार्ट अप योजना एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं का सशक्तिकरण:एक समाजशास्त्रीय अध्ययन **कृष्ण कुमार पटेल, एस.एम.मिश्रा**	101
15	सतना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्या एवं समाधान **गायत्री देवी, आर. पी. गुप्ता**	108
16	मध्यप्रदेश में कृषि विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां **सुनीता सोलंकी**	115
17	पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य (नईगढ़ी-पिपराही के संदर्भ में) **वंदना मिश्रा**	121

18	शहडोल संभाग में पर्यटन विकास का पारिस्थितिकी पर प्रभाव **बी. पी. सिंह, सविता पटेल**	127
19	समाज और संस्कृति की विकास यात्रा (भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में) **दिव्या मिश्रा**	133
20	शिव ब्रात है? **अशुतोष शुक्ल**	137
21	श्रीमद्भगवद्गीता में मोक्ष योग **प्रत्यूष वत्सला द्विवेदी**	143
22	जैवविविधता और मानवीय क्रियाकलाप (पश्चिमी घाट के विशेष संदर्भ में) **सुनील बाबू विश्वकर्मा, आकृति खरे**	147
23	पराबैंगनी किरणें ओजोन परत को किस तरह प्रभावित करती हैं **मंजरी अवस्थी**	152
24	भारतीय संस्कृति में स्वदेशी खेलो की प्रासंगिकता का महत्व **ममता**	156
25	भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन **पुरूषोत्तम कुमार साहू, अविनाश कुमार लाल**	166
26	लिंग भेदभाव का महिलाओं के विकास के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (सतना जिले के विशेष संदर्भ में) **राधा मिश्रा , अमर जीत सिंह, अजय आर. चौर**	171
27	महिला एवं बाल विकास योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक स्थिति पर प्रभाव (जिला सतना के विशेष संदर्भ में) **विमलेश द्विवेदी, अखिलेश शुक्ल**	179
28	लैंगिक असमानता के कारण एवं समाधान का समाजशास्त्रीय अध्ययन **राधा मिश्रा, अमर जीत सिंह, अजय आर. चौर**	188
29	महिला नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में) **शिखा पाण्डेय, अखिलेश शुक्ल**	194
30	बाल मानवाधिकार एवं भारत के समक्ष चुनौतियां **जगदीश प्रसाद, सर्वोत्तम कुमार**	198
31	भारत में रोजगार की प्रवृत्तियाँ : महिलाओं के विशेष संदर्भ में **कुमुद श्रीवास्तव**	203
32	पंचायतीराज अधिनियम का प्रभाव महिला नेतृत्व एवं सामाजिक जागरुकता (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में) **शिखा पाण्डेय, अखिलेश शुक्ल**	210
33	अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत बच्चों के शिक्षा के अधिकार: भारत के संदर्भ में **जगदीश प्रसाद, सर्वोत्तम कुमार**	117
34	सल्तनकालीन महोबा **महेन्द्र मणि द्विवेदी, रानू चौरसिया**	223

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

• पुरूषोत्तम कुमार साहू
•• अविनाश कुमार लाल

सारांश- प्रस्तावना हमारे संविधान का वह भाग है जिसमें पूरे संविधान का सार निकालकर लिख दिया गया है। हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, वे बहुत ही बुद्धजीवी थे, ये हम सब जानते है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, हमारी प्रस्तावना मे, संविधान के 22 भागों का निचोड़ या सार निकालकर सिर्फ 10 से 12 लाइनों लिख दिया है। यदि भारत के बारे में कोई जानना चाहे और वे कभी भारत नही आया हो, कभी संविधान न पढ़ा हो, लेकिन वह हमारे प्रस्तावना को ही पढ़ ले तो उसे बहुत सारी जानकारी हमारे भारत के संबंध में मिल जायेगी। इतनी खूबसूरत है हमारी प्रस्तवना। संविधान भी हमारा खूबसूरत है, लेकिन प्रस्तावना की बात ही अलग है सिर्फ 15 से 20 शब्द है 10 से 12 लाइन है और इसी के माध्यम से हमारे भारत का मोटे तौर से पता लग जाता है कि किस तरह से कार्य करता है, कैसी शासन प्रणाली है, कौन से मूल अधिकार दिये है, इस सब बातों का अंदाजा लग जाता है प्रस्तावना को पढ़ने से। प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योकि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ संक्षेप में मौजूद है।

मुख्य शब्द - प्रस्तावना, संविधान, सार, प्रमाण, बुद्धजीवी, निचोड़, आत्मा, शासन प्रणाली

भारतीय संविधान की प्रस्तावना- भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देश्य)- सन् 1976 के 42 वें संवैधानिक संशोधन के बाद "हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिको को सामाजिक, आर्थिक, राजनीति न्याय, विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, सन् 1949 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।"

• शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, बद्री प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर, शासकीय महाविद्यालय आरंग जिला रायपुर (छ.ग.)
•• शोध निर्देशक, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, बद्री प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

विशेष - प्रस्तावना में नीहित भाव हम भारत के लोग संयुक्त राज्य अमेंरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में प्रयुक्त भाषा को आस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है। प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है जिसे रूस की क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बन्धुता को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है। ठाकुरदास भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। एन.ए.पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। के.एम.मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को प्रकट करने वाली कुंजी कहा हैं।

प्रस्तावना की उद्भव या उत्पति- प्रस्तावना की उद्भव या उत्पति 13 दिसंबर, 1946 को पं. जवाहर नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव से निकली है हमारी प्रस्तावना। इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका को भी कहते है। संविधान सभा ने यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी, 1947 को अपनाया।

प्रस्तावना के स्त्रोत - प्रस्तावना के चार प्रकार के स्त्रोत या तत्व होते है

1. संविधान को अधिकार देने का स्त्रोत - हम भारत के लोग, संविधान को अधिकार देने वाले प्रथम स्त्रोत है। भारत 200 वर्षो की गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उससे पहले भारत में राजतंत्र व्यवस्था चल रहा था ऐसी विडम्बना से इतना रोष भारतीय जनता के मन था जिसे दूर करने के लिए सबसे पहला शब्द लिखा हम भारत के लोग अर्थात लोगो को सबसे ज्यादा महत्व लोगो को देना था, यही हमारी संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व लोगों को दिया गया है।

2. भारतीय राज्य की प्रकृति - प्रस्तावना के दूसरे स्त्रोत में भारत के राज्यों की प्रकृति है जिसके अंतर्गत भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अर्थात भारतीय राज्यों की प्रकृति को इन पांच शब्दों के अर्थ से समझने का प्रयास करेगे।

1. सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न- सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न से आशय राजतंत्र और गुलामी से आजादी मिलने के बाद संविधान निर्माता किन शब्दों का चयन करेंगे। अतः उन्होनें सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न शब्द जोड़ा जिसके अनुसार भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में अब किसी ताकत का दबाव होगा और न हम किसी के अधीन है। हम स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने में, भारत देश सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न वाला देश है, अपना निर्णय स्वंय ले सकता है और खुद पर ही वि'वास है, न हम किसी के दबाव में है और न ही किसी के नियंत्रण में है। सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न का आ'ाय यही की भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में स्वतंत्र है।

2. समाजवादी- हमने संविधान में समाजवाद को अपनाया है। समाजवादी शब्द हमारे मूल संविधान में नही था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। यह शब्द और विचारधारा कार्ल मार्क्स की देन है । कार्लमार्क्स का समाजवाद वर्ग संघर्ष पर आधारित है, जिसमें एक सर्वहारा वर्ग एक बुर्जुवा वर्ग अर्थात एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग के संघर्ष को बताया गया है, लेकिन हमारे देश में समाजवादी शब्द हमने लिया है

उसमें कही भी वर्ग संघर्ष नही है, हमारे आपसी भाईचारे से समाज के हित में किया गया काम है हमारा जो समाजवाद है भाईचारे के साथ है न कि वर्ग संघर्ष वाला है।

3. पंथनिरपेक्ष- इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। पंथनिरपेक्षता की परिकल्पना जिस प्रकार की गई है उसका अर्थ है कि राज्य का उसका कोई धर्म नही होगा और सभी व्यक्ति समान रूप से अपने विवेक के स्वतंत्रता के हकदार होगें और वें अपनी पंसद के धर्म को अपना सकते है अर्थात हमारा राज्य हमारा देश किसी एक धर्म को बढ़ावा नही देता है, किसी एक धर्म को नही मानता, बल्कि सभी धर्मो का पालन करता है, सभी धर्मो का आदर करता है।

4. लोकतंत्रात्मक- भारत एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है, जिसके अंतर्गत अब्राहम लिंकन विचार आता है जिसके अंतर्गत जनता का जनता के द्वारा लिए जनता के लिए किया गया शासन है। संविधान ने सरकार का एक ऐसा रूप स्थापित किया है जो लोगो की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता। सत्ता चलाने वाले शासक लोगो के द्वारा चुने जाते है और उनके प्रति जिम्मेदार होते है।

5. गणराज्य- भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र में दो प्रकार के प्रमुख होते है जिसमें वंशानुगत (सम्राट ब्रिटेन में) निर्वाचित (भारत में राष्ट्रपति) लोकतंत्रात्मक गणराज्य एक ऐसी इकाई है, जिसमें राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। जिसके अंतर्गत हमारा कोई भी पद वंशानुगत नही होगा

3. उद्देश्यों का विवरण- भारत की प्रस्तावना में उद्देश्यों का विवरण तीन प्रकार से किया गया है। हमारे भारत में संविधान को बनाने, लागू करने के पीछे उद्देश्य भारत के राज्यों की प्रकृति, भारत की संस्कृति की विविधता और भारतीय जनता में नीहित उम्मीदों की किरण थी, जिसके अनुसार सविधान निर्माताओं के मन में सबसे पहले उद्देश्य के रूप में न्याय देने बात रखी जिसमे समस्त नागरिको को सामाजिक, आर्थिक, राजनीति न्याय, अर्थात प्रस्तावना में तीन प्रकार की न्याय नीहित है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 38 राज्य के नीति निदेशक तत्व में सामाजिक न्याय का वर्णन किया गया है, जिसका तात्पर्य है, समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाना चाहिए और जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, सम्पत्ति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नही किया जाना चाहिए। न्याय की स्थिति के अंतर्गत अस्पृश्यता या छूआछूत जैसी कृत्रिम सामाजिक बुराईयों के लिए कोई स्थान नही हो सकता। सामाजिक न्याय से तात्पर्य सभी नागरिको को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना है।

आर्थिक न्याय भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निदेशक तत्व में कहा गया है कि राज्य संसाधनो के उचित वितरण, समान कार्य एवं समान वेतन की व्यवस्था करेगा साथ ही राज्य आर्थिक व्यवस्था का केन्द्रीकरण नही होने देगा। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का पूरक है।

राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक न्याय अर्थात प्रत्येंक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, 18 वर्ष के ऊपर के हर वर्ग हर व्यक्ति

को वोट देने का अधिकार है। न्याय का अर्थ है कि कोई वर्ग या जाति पिछड़ गया है तो उसे इस रेस दौड़ में लाने के लिए आरक्षण का भी प्रावधान दिया जाना चाहिए।

दूसरा उद्देश्य स्वतंत्रता से संबंधित है जिसमें विचार–अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाली अर्थात मूल अधिकार, जिसमें भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 नीहित स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपसना की स्वंतत्रता। चार प्रकार की स्वतंत्रताओ का वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25 से 28) एवं समता/समानता का अधिकार के अंतर्गत प्रतिष्ठा (उपाधियो का अंत अनु. 18), अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए (अवसर की समता अनु. 16) उन सब में व्यक्ति की गरिमा (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण अनु. 21) आदि मूल अधिकारो का वर्णन भारतीय संविधान तथा प्रस्तावना दोनों में किया गया है। 42वें संविधान सं'ोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया जिसमें से राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता (मूल कर्तव्य 3) का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 (क) और प्रस्तावना में किया गया है।

तीसरे उद्देश्य के रूप में समता और बन्धुत्व अर्थात बन्धुता बढ़ाने के लिए, जिसका उल्लेख (5वें मूल कर्तव्य) में किया गया है।

4. संविधान को लागू करने की तिथि - प्रस्तावना के चौथे स्त्रोत के रूप में संविधान का लागू करने की तिथि से है जिसके अंतर्गत दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, सन् 1949 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।" अर्थात संविधान लागू हो गया या संविधान के द्वारा शासन है, इस बात का प्रमाण हमें संविधान को लागू करने की तिथि से मिलता है, जिसके अंतर्गत भारतीय जनता ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है।

अंगीकृत का अर्थ है- अपनाना अर्थात हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते है।

अधिनियमित का अर्थ है- अधीन होना अर्थात इन सभी नियमों या विधियों के अधीन हम भारतीय भारत के शासन का संचालन करेंगे।

आत्मार्पित का अर्थ है- अर्पण करना अर्थात संविधान को आत्मा से अर्पित करना या संविधान के पालन हेतु हम भारत के लोग आत्मा को अर्पित करते है, आत्मा अजर है अमर है उसी तरह संविधान भी आत्मा की तरह अजर है अमर जिसका अंत कभी नही हो सकता।

प्रस्तावना के संबंध सर्वोच्च न्यायालय - प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना जाए या नही इस मामले में बेरूबरी युनियन केस ।प् 1960 ैब 845 के मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना, संविधान का हिस्सा नही है, बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 SC 1461 के मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पीछले फैसले (बेरूबरी) को बदल दिया और यह कहा कि

प्रस्तावना, संविधान का हिस्सा है, जिसका अर्थ यह है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालाँकि ऐसे संशोधन से संविधान का मूलभूत ढांचा बदला नही जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नयें आयाम आया जिसके अंतर्गत प्रस्तावना में पहली बार 1976 में 42 वें संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखण्डता शब्द को जोड़ा गया है साथ ही संविधान में भी संशोधन किया गया।

मूल्यांकन - प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योकि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ बहुत संक्षेप में मौजूद है। भारत के संविधान की उद्देशिका, अपने आप में मनोहर है, क्योंकि यह कुछ हद तक अन्य देशों के संविधान की उद्देशिका से अलग है, क्योंकि इसमें ईश्वर, इतिहास या पहचान का भार नही डाला गया है। इसके द्वारा भारत के लोगो से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का वादा किया गया है। हमारी उद्देिका हमें यह स्वतंत्रता देती है कि हम अपने कृत्यों, अपनी आस्था, अपने विचारो इत्यादि के संबंध में उचित निर्धारण कर सकते है। संविधान की उद्देशिका हमें यह भी बताती है कि एक राष्ट्र की एकता, केवल समूहों की एकजुटता भर नही है। यह बताती है कि एक वास्ताविक एकता तभी संभव है जब प्रत्येंक व्यक्ति की गरिमा का आस्वासन दिया जाए। उद्देशिका यह बताती है कि यदि व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान किया जायेगा तो राष्ट्र को डरने की कोई जरूरत नही है। इसकी मूलभूत संरचना प्रगतिशील है जो इसे सबसे अलग बनाती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- **https://hindi.livelaw.in**
- **vasuconcept Ankita dhaka**
- डॉ. जैन पुखराज, राजनीति विज्ञान, साहित्य भवन पब्लिकेशन 2017
- सिंह सुनील कुमार, सामान्य ज्ञान, लूसेन्ट पब्लिकेशन
- डॉ. फड़िया बी. एल, भारतीय शासन एवं राजनीति साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2016
- डॉ. जौहरी जे.सी., भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2015
- कुमार अरूण, विश्व के प्रमुख संविधान, साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2015